

कार्यालय:- निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, जिला पंचायत परिसर,
धारानौला, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)-263601

अल्प कालीन कोटेशन सूचना

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा द्वारा वर्तमान में अपने जैविक चाय बागानों व स्वयं की चाय फैक्ट्रियों में निर्मित जैविक चाय का निरीक्षण व सर्टिफिकेशन उत्तराखण्ड स्टेट आर्गनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, देहरादून (उसोका) से करवाया जा रहा है, जिसके सापेक्ष उसोका द्वारा NOP प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, बोर्ड द्वारा वर्तमान में अपनी चाय फैक्ट्रियों में निर्मित जैविक चाय को देश व विदेशों में आर्थोडोक्स चाय की माँग को देखते हुए बिक्री किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु बोर्ड को NOP प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः एपीडा से मान्यता प्राप्त NOP प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इच्छुक अधिकृत फर्मों व संस्थाओं से उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा चाय फैक्ट्री चम्पावत, घोड़ाखाल (नैनीताल) व भटोली (चमोली) में निर्मित जैविक चाय के NOP प्रमाणीकरण व सर्टिफिकेशन हेतु प्रमाणीकरण व सर्टिफिकेशन सहित समस्त करें (G.S.T. Travelling, Fooding, Local Transport etc) सहित करें बोर्ड के ई-मेल uttarakhandtea@rediffmail.com के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 05962-237746 व 230606 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक,
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,
अल्मोड़ा